झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

रॉची, दिनांक :— 17-11-17

अधिसूचना सं॰–02 / (एम॰ए॰सी॰पी॰)–17–01 / 2016.....4872......./ राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–03 / एम॰ 06 / प्रो॰–02 / 2002–5207 / वि॰ दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 14.11.2017 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के क्रम में झारखण्ड अभियंत्रण सेवा संवर्ग के निम्न तालिका में अंकित पदाधिकारियों को सम्वर्ग में प्रथम योगदान से लगातार 12 / 24 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तम्भ–03 एवं 04 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में प्रदान किया जाता है।

राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–06 / एस॰–06 / प्रो॰–03 / 2009–2981 / वि॰ दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त समिति की दिनांक 14.11.2017 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के क्रम में निम्न तालिका में अंकित पदाधिकारियों को सम्वर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 20 / 30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिये जाने के उपरांत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तम्भ–05 एवं 06 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में प्रदान किया जाता है।

क्र०	नाम / आई० डी० / गृह जिला / जन्मतिथि / सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना		संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना		अभ्यु0
		प्रथम ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान सहित)	द्वितीय ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान सहित)	द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान सहित)	तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान सहित)	
1	2	3	4	5	6	7
1	स्व0 मदन प्रसाद सिंह - / 1383 / भोजपुर / 20.8.50 / 31.08.2010 / सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (मृत)	08.09.99 (वेतनमान 10000–325–15200)	01.03.2000 वेतनमान् 14300–400–18300	---	01.04.10 (वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे 8900)	

1	2	3	4	5	6	
2	श्री अवधेश चन्द्र झा सहायक अभियंता (यॉ॰)/ एम 347/गोड्डा/15.01.52/ सेवानिवृत 31.01.12	09.08.06 वेतनमान 10000—325—15200	—	07.02.10 (वेतनमान 15600—39100 ग्रेड पे 7600)	—	

यह वित्तीय उन्नयन निम्नांकित शर्त्तो के अधीन देय है :–

1. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।

2. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।

3. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

4. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प सं॰–5207 दिनांक 14.08.2002 एवं 2981 दिनांक 01.09. 2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

5. संबंधित पदाधिकारी के संदर्भ में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा। किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरेक भुगतान की गयी राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरूद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

16.11.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 4872 रॉची, दिनांक :–. 17-11-17

प्रतिलिपिः– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियॉ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

16.11.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 4872 रॉची, दिनांक :– 17-11-17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जॉच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

16.11.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 4872 रॉची, दिनांक :– 17-11-17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रॉची / अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव(प्रबंधन कोषांग सहित) / सभी संबंधित मुख्य अभियंता / सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता / सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता / सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / प्रशाखा पदाधिकारी–01, 02 / वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.11.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)